dents are facing a lot of difficulties; if ao, what steps Government propose to take is the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIDALBIR SINGH): (a) Yes.

(b) 82 numbers (from 1st August to 27th November, 1987).

(c) and (d) The number of complaints remaining unattended to as on 8-12-87 is 36. The work has been given on contract and the contractor has completed the work only in one pocket, covering 46 complaints. He is being asked to restart the work by 10-12-87 and in case of his failure, the work will be got done through another agency. The entire pending work is likely to be completed by 15-1-1988.

भारत खाद्य निगम द्वारा भारतीय बीज निगम को गेहूं की पूर्ति किया जाना

3761. श्री शिव कुमार मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारतीय बीज निगम को कितनी मात्रा में गेहूं दिया गया है ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने भारतीय बीज निगम को किस मूल्य पर गेहूं दिया था और भारतीय बीज निगम ने उक्त गेहूं भारतीय किसानों को किस मूल्य पर बेचा था ;

(ग) भारतीय बीज निगम की प्रति बोरी लागत कितनी थी और इसने प्रति बोरी कितना लाभ अर्जित किया ; और

(घ) क्या भारतीय बीज निगम ने फसल की उन्नत उपज प्राप्त करने के लिए वस्तुतः बीज को उचित ढंग से संसाधित किया था ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम से गेहूं के दानों की 4.28 लाख क्विंटल मात्रा की अधिप्राप्ति की गई थी, जिनका परिसंस्करण किए जाने के पश्चात् बीज के रूप में उपयोग किया जाना था। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान भारतीय खाद्य निगम से गेहूं की किसी भी मात्रा की अधिप्राप्ति नहीं की गई।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम को 4 प्रतिशत बिक्री कर सहित 281.56 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की आपूर्ति की गई। राष्ट्रीय बीज निगम ने किसानों को गेहूं के बीजों की सीधी बिक्री नहीं की। ये बीज बिहार और जम्मू काश्मीर राज्य को राज्यों में लागू लेवी तथा करों सहित 325/- रुपए प्रति क्विंटल की दर से सप्लाई किए गए हैं।

(ग) परिष्कृत तथा बोरा-बंद बीजों की एफ. ओ आर. डिलीवरी केन्द्रों तक लागत 428.74 रुपए प्रति क्विंटल आंकी गई है। राज्य सरकारों को बीजों की आपूर्ति 325 रुपए प्रति क्विंटल के सहायता मूल्य पर की गई है। भारत सरकार ने 103.74 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राजसहायता दी है। राष्ट्रीय बीज निगम को प्रचालन की कुल लागत का 3 प्रतिशत सेवा-प्रभार के रूप में प्राप्त होगा।

(घ) भारतीय खाद्य निगम से अधिप्राप्त अनाज की राज्य सरकारों को आपूर्ति किए जाने से पूर्व इसे राष्ट्रीय बीज निगम, पंजाब राज्य बीज निगम, हरियाणा राज्य बीज विकास निगम, उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम तथा बिहार राज्य बीज निगम के परिसंस्करण संयंत्रों में उपयुक्त ढंग से परिष्कृत किया गया है।

Modern rice mills of the FCI

3762. SHRI ASHOK NATH VERMA; the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the modem rice mills of the Food Corpo